**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.06.2026**

**थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।**

दिनांक 27.05.2026 को थाना लोनी पर वादी श्री चांद पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त 1.आशुतोष 2. तनिष पुत्रगण वचन सिंह निवासी ग्राम वसोद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी के तहेरे भाई नितिन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत की गोली मारकर हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 1.आशुतोष 2. तनिष पुत्रगण वचन सिंह निवासी ग्राम वसोद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के अलावा 3. मुकुल त्यागी पुत्र श्यानंद त्यागी निवासी गांव रतनपुरी पिलाना थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत 4. शिवा पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम अंधेल थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के नाम प्रकाश मे आये। दिनांक 30.05.26 को थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.आशुतोष 2. तनिष पुत्रगण वचन सिंह निवासी ग्राम वसोद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत 3. मुकुल त्यागी पुत्र श्यानंद त्यागी निवासी गांव रतनपुरी पिलाना थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 08.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवा पुत्र अमरपाल सिंह निवासी अंधेल थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त शिवा ने पूछताछ करने पर बताया कि आशुतोष मेरा मौसेरा भाई है। मृतक नितिन मेरी मौसेरी बहन को अपने साथ लेकर चला गया था जिसके संबंध में थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत मे अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के बाद हमारी मौसेरी बहन ने नितिन के पक्ष में बयान दिया था जिसके आधार पर अभियोग में अंतिम रिपोर्ट लगी थी। इसी मामले को लेकर नितिन आस पास के गाँव में हमारे मौसेरे भाईयों की बदनामी लगातार करता चला आ रहा था। हमने नितिन को काफी समझाया अब हमारी बहन का पीछा छोड़ दें परन्तु नितिन नहीं माना तथा लगातार हमारी गांव मे बदनामी करता चला आ रहा था। मेरे मौसेरे भाई आशुतोष ने अपने दोस्त मुकुल त्यागी व तनिष के साथ मिलकर योजना बनायी। मेरी तथा नितिन की आपस में पहले से जान-पहचान थी। योजना के तहत मैंने नितिन को बीयर पीने के लिये बन्थला नहर लोनी के पास बुलाया जहां पर आशुतोष, तनिष व मुकुल त्यागी पहले से ही नितिन की फिराक मे थे। जहाँ नितिन की बीयर पीते समय पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

**बरामदगी-**

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

शिवा पुत्र अमरपाल सिंह निवासी अंधेल थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 20 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।

## थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

### घटना का विवरण:

दिनांक 08.06.2026 को वादी श्री देवेन्द्र (पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद, निवासी: ग्राम उड़वल बनारस, जिला बुलन्दशहर) ने थाना नन्दग्राम पर तहरीर दी कि उनकी पुत्री नीतू, उम्र 28 वर्ष (जिसका विवाह दिनांक 10.12.2025 को सुमित कुमार से हुआ था), से ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज न देने पर उनकी पुत्री नीतू की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही का विवरण:

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 08.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण के घर पर दबिश दी गई, इस सुनियोजित कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नामजद अभियुक्तों, जिसमें मृतका के पति, ससुर तथा सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते:

- **सुमित गौतम (पति):** पुत्र फेरू सिंह, निवासी- रामनगर कॉलोनी, ग्राम अटौर भट्टा नं. 5 रोड, थाना नन्दग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद। (उम्र 34 वर्ष)
- **फेरू सिंह (ससुर):** पुत्र स्व. रामेश्वर दयाल, निवासी- रामनगर कॉलोनी, ग्राम अटौर भट्टा नं. 5 रोड, थाना नन्दग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद। (उम्र 63 वर्ष)
- **अनीता (सास):** पत्नी फेरू सिंह, निवासी- रामनगर कॉलोनी, ग्राम अटौर भट्टा नं. 5 रोड, थाना नन्दग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद। (उम्र 58 वर्ष)

### पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्तगण सुमित, फेरू सिंह व अनीता से पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया, उन्होंने अपनी सफ़ाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पेश करने की बात कही है।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

**थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी/कूटरचित दस्तावेज तैयार करके दूसरे की सम्पत्ति को विक्रय करने वाले 10 अभियुक्तगण गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 1 फर्जी आधार कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 1 फर्जी वोटर आईडी कार्ड, 4 बैंक चैक बुक, 1 फर्जी किसान बही, 6 पासपोर्ट साइज फोटो बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरणः-** दिनांक 07.06.2026 को थाना साहिबाबद पर वादी राजकुमार अग्रवाल पुत्र स्व गोपाल दास निवासी 221 सेक्टर 15-ए नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें बताया कि खसरा नम्बर 1162, 1217/2, 1218, 1255/1, 1275, 1271 व 1275 स्थित ग्राम अर्थला जिला गाजियाबाद के राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज व पंजीकृत है। दिनांक 06.06.2026 को प्रार्थी को भूमि के आस-पास के लोगों से इस बात की जानकारी हुई कि सुरेन्द्र नाम के व्यक्ति द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि को स्वयं की बताकर फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक की पासबुक व चैकबुक तैयार कर फर्जी तरीके कर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचकर मेरी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति बताकर विक्रय करने व अनुचित लाभ कमाने के फिराक मे है। उक्त प्रकरण को संज्ञान मे लेते हुए थाना साहिबाबाद द्वारा उचित धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनवारण हेतु थाना साहिबाबाद द्वारा टीम का गठन किया गया।

**पूछताछ विवरण अभियुक्तः-** राजकुमार अग्रवाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरा सही नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 चंद किरन मूल पताः गांव अछैजा, थाना पिलखुआ, जिला हापुड है। मैं अपना मूल मकान आज से करीब 40 वर्ष पहले बेचकर दिल्ली चला आया था तभी से दिल्ली में मकान बदल-बदल कर किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ रहता हूँ तथा अब बृजपुरी कॉलोनी, वजीराबाद रोड, थाना भजनपुरा दिल्ली में रहता हूँ रिटायर लेखपाल सतवीर सिंह पुत्र छंगा सिंह निवासीः ग्राम कचैडा वारसाबाद, थाना बादलपुर, जिला गौतमबुद्धनगर से करीब 20 साल से आपसी पारिवारिक सम्बंध है, लेखपाल सतवीर सिंह जब नौकरी पर थे तब इनकी मुलाकात इंदौर की रहने वाली शशि गुप्ता से हुई थी जो कि ब्रोकर है, लेखपाल सतवीर सिंह ने ही शशि गुप्ता को बताया था कि ग्राम अर्थला साहिबाबाद में एक जमीन राजकुमार अग्रवाल की  है खाली पडी है जो करोडों रूपयों की है। शशि गुप्ता ने अपने साथी वेंक्टे बालकृष्ण धाकपाडे को लेखपाल सतवीर सिंह के पास इस जमीन की बातचीत करने के लिए भेजा था फिर लेखपाल सतवीर सिंह ने मुझे वेंक्टे बालकृष्ण धाकपाडे से मिलवाया था और बतलाया था कि ग्राम अर्थला जिला गाजियाबाद के राजस्व अभिलेखों में राजकुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 गोपाल दास निवासीः 221 सेक्टर 15-ए नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर के नाम खसरा नम्बर 1162, 1217/2, 1218, 1255/1, 1275, 1271 व 1275 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और यह जमीन करोडों रूपयों की है। हम तुम्हारी पूरी पहचान जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि कागजात राजकुमार अग्रवाल के नाम से बनवा देगे तथा इस जमीन को किसी व्यक्ति को दिखाकर अच्छे दामों मे बेच देगे। इसके बाद मैने लेखपाल सतवीर से पूछा कि तुम यह सब कागजात कैसे तैयार कराओगे। तब लेखपाल सतवीर ने कहा कि मै तुम्हारी पूरी पहचान के कागजात उस जमीन की खसरा व खतौनी मे दर्ज नाम के अनुसार बनवा दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने राजकुमार अग्रवाल के नाम के फर्जी कागजात तैयार किये व उक्त जमीन को बेचने का प्लान बनाया था। लेखपाल सतवीर ने हनुमान सिंह, जाकिर, सादिक, राजेखान, रमेश पुरोहित व हनुमान के साथ मिलकर राजकुमार अग्रवाल के नाम से फर्जी आधार, पैन कार्ड व बैंक खाता खुलवाया था तथा

लेखपाल सतवीर सिंह ने कहा था कि इसके लिए हमे एक लोकल आदमी की जरूरत पडेगी तब हनुमान ने कहा था कि अली जाफर मेरा मिलने वाला है वह यहां का सारा काम संभाल लेगा। तब हनुमान ने अली जाफर से मिलवाया था, अली जाफर ने कहा कि मेरी एक वीडियो राजकुमार अग्रवाल के नाम से बनवा दो, तब लेखपाल सतवीर सिंह ने अपने मोबाईल पर मेरी एक वीडियो बनायी थी जिसमें मैने कहा था कि मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है मै अपनी जमीन जो कि अर्थला मैट्रो के पास है उस जमीन को बेचना चाहता हूँ तत्पश्चात अली जाफर ने कहा था कि मेरे पास एक पार्टी है मै उस पार्टी से बातचीत करता हूँ तब अली जाफर ने यशोदा हास्पिटल गाजियाबाद के मैनेजर राहुल साहनी से जमीन बेचने के लिए सम्पर्क किया था और जमीन खरीदने के लिए तैयार कर लिया था तब अली जाफर ने राहुल साहनी को उसके मोबाईल पर वीडियो, आधार, पैन कार्ड, किसान बही, जमीन के कागजात भेजे थे।

**अपराध कारित करने का तरीका-** अभियुक्तगणों द्वारा उक्त सम्पत्ति को चिन्हित किया गया तत्पश्चात उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी दस्तावेज सम्बन्धित विभाग से निकलवाये गये तथा दस्तावेजो के आधार पर उक्त भूमि के मालिक के नाम से एक व्यक्ति को तैयार कर उसके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड बैक पासबुक, बैंक चैकबुक आदि तैयार कराये गये। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा चिन्हित सम्पत्ति से सम्बन्धित मूल दस्तावेज के गुम होने की रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024 को क्राईम ब्रांच दिल्ली में दर्ज करायी। तथा इसी सम्बन्ध मे एक अन्य रिपोर्ट इन्दौर मे 15.02.2014 थाना तेजाजीनगर मे दर्ज करायी व इसी सम्बन्ध मे एक सूचना फरीदाबाद के न्यूजपेपर मे दिनांक 26.09.2024 मे निकलवायी थी। अभियुक्तगण द्वारा पुन: सम्बन्धित विभाग से चिन्हित सम्पत्ति के दस्तावेज निकलवाकर उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के फिराक मे थे। तत्पश्चात उक्त अभियक्तगणों के मोबाईल फोन को चैक किया गया तो सभी के फोनो से एक-दूसरे को उक्त जमीन से सम्बन्धित पूर्व मे दर्ज की गयी एफआईआर रिपोर्ट की कापी व न्यूज पेपर की कंटिग व जमीनी दस्तावेज व असली राजकुमार के पूर्ण दस्तावेज व राजकुमार अग्रवाल के परिवार से सम्बन्धित सभी सदस्यों की जन्मतिथि व मृत्यु तिथि की जानकारी प्राप्त हुई व राजकुमार अग्रवाल के नाम से मुम्बई से दिल्ली आने का ऐयर टिकट प्राप्त हुआ।

**गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता :-**

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 चंद किरन मूल पताः गांव अछैजा, थाना पिलखुआ, जिला हापुड उ0प्र0 उम्र करीब 70 वर्ष
2. रमेश पुरोहित पुत्र बद्रीदास पुरोहित निवासीः सुथेरो की बाडी गुआड, थाना सिटी कोतवाली, जिला बीकानेर राजस्थान, उम्र करीब 68 वर्ष
3. वेंक्टे बालकृष्ण धाकपाडे पुत्र बालकृष्ण धाकपाडे निवासी गली नं0 13 नगर निकट जीजा माता हाईस्कूल, थाना शिवाजी नगर, जिला नांदेड महाराष्ट्र, , उम्र करीब 31 वर्ष
4. रिटायर लेखपाल सतवीर सिंह पुत्र छंगा सिंह निवासी ग्राम कचैडा वारसाबाद, थाना बादलपुर, जनपद गौतमबुद्ध नगर, उम्र करीब 60 वर्ष
5. अरूण कुमार शिवालाल बाहेती पुत्र शिवालाल बाहेती निवासी 2/6 अपोजिट कस्तूरी हाईट पारसनगर, थाना शिवाजी नगर, जिला नांदेड महाराष्ट उम्र करीब 51 वर्ष
6. राजे खांन पुत्र हबीब खांन निवासी गंगाजली, थाना पूगल, जिला बीकानेर राजस्थान उम्र करीब 34 वर्ष
7. जाकिर हुसैन पुत्र रहमान खांन निवासी गंगाजली, थाना पूगल, जिला बीकानेर राजस्थान, उम्र करीब 38 वर्ष

8. सादिक पुत्र अल्लाहदार निवासीः गंगाजली, थाना पूगल, जिला बीकानेर राजस्थान उम्र करीब 40 वर्ष
9. हनुमान पुत्र गणपत राम निवासीः ए/32 मुरलीधर कालोनी, थाना नया शहर, जिला बीकानेर, राजस्थान उम्र करीब 41 वर्ष
10. अली जाफर पुत्र मौ0 जाफर जैदी निवासी फ्लेट नं0 14 जीसी ग्रांड अपार्टमेन्ट वैभव खण्ड, थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-**

- अभियुक्तगण के कब्जे से 3 फर्जी आधार कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 1 फर्जी वोटर आईडी कार्ड, 4 बैंक चैक बुक, 1 फर्जी किसान बही, 6 पासपोर्ट साइज फोटो व पांच बिना नाम के फोटो व एक सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 चंद किरन अछैजा बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद।